सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 85 / 2017 अपील ([redacted])
पंजीयन दिनांक – 04.07.2017
निर्णय दिनांक – 12.06.2018

1. श्री अम्बालाल पिता देवाजी भील, निवासी बाड़ा, ढ़ीकली तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. मु. रतनीबाई बेवा देवाजी भील, निवासी बाड़ा, ढ़ीकली तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर।

–अपीलान्टस्

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।

– रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः–

1. श्री सम्पतलाल बोहरा – वकील अपीलान्ट
2. श्री योगेन्द्र दशोरा – वकील रेस्पोडेंट सं.–1
3. श्री एन.एस. चुण्डावत – वकील रेस्पोडेंट सं.–2

अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर प्रकरण संख्या 56 / 2016 दिनांक 05.06.2017

निर्णय

दिनांक 12.06.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय जिला कलक्टर, उदयपुर प्रकरण संख्या 56 / 2016 दिनांक 05.06. 2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष इस आशय से अपील प्रस्तुत की कि मौजा ढीकली तहसील गिर्वा की साबिक आराजी न. 83/22 रकबा 3 बीघा जिसके हाल आराजी न. 1127 रकबा 17.9600 हैक्टर भुमि में से 0.6600 हैक्टर भूमि का आवंटन श्री देवा पिता भेरा गमेती को हुआ। उनके नाम पर कथित जमीन गैर खातेदारी हक से दर्ज होकर वह काश्त करते आ रहे है। देवा के देहांत उपरान्त अपीलान्ट उनके विधिक वारिसान है। उक्त जमीन हाल आराजी न. 1127 में शामिल है। जिससे अपीलान्टस/वादी को उक्त जमीन के सम्बन्ध में घोषणा व स्थायी निषेद्याज्ञा का वाद पेश करना पडा। वाद दिनांक 24.12.2008 को उक्त जमीन का अपीलान्ट को खातेदार काश्तकार मानते हुए दावा स्वीकार कर डिक्री कर दिया गया एवं तथाकथित खातेदार देवा को काश्तकार घोषित कर दिया। जिसकी अपील सरकार द्वारा न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के यहां की गई। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने से सरकार द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जो विचाराधीन है। जब अपीलान्ट को कथित जमीन का खातेदार काश्तकार सन् 2011 में ही घोषित कर दिया जो इस जमीन का नामान्तरकरण रेस्पाडेंट के नाम स्वीकार करने का तहसीलदार गिर्वा को कोई हक व अधिकार नहीं है। जब रेगूलर सुट चलकर मामला निर्णित हो चुका है तो ऐसे मामलों में म्यूटेशन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

अपीलान्ट द्वारा उपरोक्त स्थिति के मद्देनजर नामान्तरकरण के विरूद्ध जिला कलक्टर, उदयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा आदेश दिनांक 05.06.2017 से अपील अस्वीकार की गईं। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 05.06.2018 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में बताया कि अपीलान्ट की आवंटन शुदा 3 बीघा जमीन हाल आराजी न. 1127 रकबा 17.9600 हैक्टयर में सम्मिलित किये जाने उपरान्त, वाद घोषणा व स्थाई निषेद्याज्ञा का सरकार के विरूद्ध पेश किया गया जिसे दिनांक 24.12.2008 को स्वीकार किया गया एवं फैसला अपीलान्ट के हक में पारित किया गया। वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। प्रतिवादी को स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया गया। सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील समक्ष भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर भी निरस्त की गई।

परन्तु कथित जमीन के सम्बन्ध में यह सब आदेश होते हुए भी नामान्तरकरण संख्या 604 दिनांक 06.07.2010 से नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम दर्ज की गई। यह कार्यवाही एबइनिश्योवोईड होकर बिना अधिकार के है, ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में सरकार द्वारा द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जहां से मौका रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश होते हुए भी म्यूटेशन नगर विकास प्रन्यास के नाम स्वीकृत कर दिया गया जो एबइनिश्योवोईड है। जहां दावा सक्षम न्यायालय में पेण्डिंग है तो उस जमीन के सम्बन्ध में नामान्तरक़रण नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा डिक्री व निर्णय का अवलोकन किये बिना अपील निरस्त की गई जो बिना अधिकार के है।

विद्वान वकील अपीलान्ट के अपने कथन के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर कथित नामान्तकरण एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त कराये जाने का अनुरोध किया है।

RRT 2011 (1) Page 498, RRD 2012 Page 602, RLW 1984 Page 573, AIR 2007 Page 73, RBJ 2012 Page 629

विद्वान वकील रेस्पोंडेन्ट्स–1 एवं 2 ने बहस में बताया कि नामान्तरकरण संख्या 604 दिनांक 06.07.2010 से जो भुमियां नगर विकास प्रन्यास को हस्तान्तरित की गई है वह समस्त भुमियां राजकीय होकर बिलानाम सरकार की भुमिया है, जिन पर ना तो अपीलान्ट का अधिकार है और न ही उसके किसी अन्य पडौसी का अधिकार है। यह भुमियां राज्य सरकार के आदेश के तहत स्थानिय निकाय को भुमि के लगान का 40 गुना पुंजीगत मुल्य पर हस्तान्तरण करने के आदेश से हस्तान्तरित की गई एवं हस्तान्तरण तिथि से इन भुमियों पर नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर का कब्जा है। नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा इन भुमियों को भारी लागत लगाकर प्लांनिंग के तहत विकसित किया जा रहा है एवं इनका उपयोग उपभोग राज्य हित में सार्वजनिक हितार्थ किया जावेगा। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर पारित आदेश पूर्णतया विधि अनुरूप होने से अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखने का अनुरोध किया है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट की आवंटन शुदा 3 बीघा जमीन हाल आराजी न. 1127 रकबा 17.9600 हैक्टय में सम्मिलित किये जाने उपरान्त, वाद घोषणा व स्थाई निषेद्याज्ञा का सरकार के विरूद्ध पेश किया गया जिसे दिनांक 24.12.2008 को

स्वीकार किया गया एवं फैसला अपीलान्ट के हक में पारित किया गया। वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया। सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील समक्ष भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा भी निरस्त की गई। उपरोक्त आदेश उपरान्त भी नामान्तरकरण संख्या 604 दिनांक 06.07.2010 से नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम दर्ज की गई। अपीलान्ट द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश की ओर ध्यान इंगित किया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा आदेश दिनांक 05.06.2017 पारित किये जाने के समय उपरोक्त तथ्यों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का परिक्षण किया जाना प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर, पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझे है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.06.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण जिला कलक्टर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थीगण को उचित एवं पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान कर, दस्तावेजों का परिक्षण कर नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2018 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर